कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून। संख्या 348/1जी-FP/UK/ROAD/10965/2015 देहरादूनः दिनांकः 27 जुलाई,15

सेवा में, अपर सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन

विषयः-जनपद टिहरी में ठेला थार्ती चिरबटिया मोटर मार्ग निर्माण हेतु — 4.357 है0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/10965/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सिहत शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव में प्रति हैं0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमित की दशा में प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस०टी०एस०लेण्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्या :

/ 1जी-FP/UK/ROAD/10965/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः

- 1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- 2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
- 3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनी की रेती।
- 4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी०एम०जी०एस०वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5. जिलाधिकारी, टिहरी।
- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग।
- 7. अधिशासी अभियंता, लो०नि०वि, घनसाली।

(एस०टी०एस०लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद टिहरी में टेला थार्ती चिरबटिया मोटर मार्ग निर्माण हेतु — 4.357 हैं 0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/10965/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु टिहरी वन प्रभाग में थार्ती 6 बी व 7 ए में 3.692 है0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.665 है0 सिविल वन भूमि कुल 4.357 है0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सिम्मिलत होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनी की रेती द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। अतः जनहित में, प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षारः

नाम व पदनामः

(एस०टी०एस०लेप्चा भावसे)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं

अवर प्रमुख वम संरक्षकी एवं लोखसा अधिकारी वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः

देहरादन

तिथि : 21/07/2015

स्थानः देहराद्न

भाग - |||

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव संख्या

— FP/UK/ROAD/10965/2015

प्रस्ताव का नाम

New Construction Of Thela Tharti Chirbitiya Motor Road

 स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

हां

- 3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष्णा सिफारिशें।
- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग के निरीक्षण टिप्पणी के कम में एवं भूः वैज्ञानिक की आख्या में दिये गये सुझावों के अनुपालन के साथ संस्तुति की जाती है।

तिथि <u>23.7.17</u> स्थान – मुनिकीरेती।

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम -

(एसं०पीं० सुबुद्धि) वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती (टि०ग०)

प्रारूप—3 भाग–।। (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है) प्रस्ताव की राज्य कम संख्या. FP/UK /ROAD /10965/2015

7- परियोजना / स्कीम की अवस्थिति	
(i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड ।
(ii) जिला	टिहरी गढवाल ।
(iii) जिला वन प्रभाग	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी ।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	थार्ती कक्ष संख्या ६ब व ७३३ में — ३.६९२ हे० सिविल एवं सोयम भूमि —0.६६५ हे० योग— 4.357 हे०
3— पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	वन विभाग एवं राजस्व विभाग के स्वामित्व की भूमि
9— अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा—	संलग्न है।
(i) वन का प्रकार	आरक्षित वन भूमि
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.3
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	प्रस्ताव में संलग्न है।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	
10— भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू—वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार ।
11— वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	आरक्षित वन भूमि के अन्दर ।
12— वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली उस्तावित वन भूमि की महत्ता	
 पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा 	नहीं ।
i — क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, त्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रयास गलियारे आदि के माग का निर्माण करते है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और	नहीं ।
उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टेप्पण्यों उपाबद्ध की जाए)	
iii — क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि0मी0 के भीतर अवस्थित है।(यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पण्यों उपाबद्ध	नहीं ।
ही जाए) V — क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण याघ्र रिजर्व हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लेए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से कि कि०मी० के भीतर अवसिति है।। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं । (जानपीक्षकार्ग प्रशासिक क्षित्रकारों विकास क्षमा सह विकर्ण
/— क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां है, यदि है तो उसके ब्यौरे	नहीं ।
3— क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या गितरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है	नहीं ।

(यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिये सक्षम प्राधिकाशी से अमापति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.)के साथ उसका व्योग दें) 14— पूर्वक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युवितयुक्तता के बारे में टीका— टिप्पणियों हैं । i — क्या भार—1 के पैश 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिकार्य हैं और परियोजना के लिये अति न्यूत्तम हैं। i — वया अविक्रमण के व्योर : i — क्या अविनियम वा अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण के व्योर : i — क्या अविनियम वा अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया हैं (हाँ या नहीं) i — वया अतिक्रमण के व्योर : i — क्या अतिक्रमण में कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि अतिक्रमण में कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि अतिक्रमण में कार्य अवभी प्रगति में हैं (हॉ/ नहीं) 16— क्षतिपूर्क वनरोपण स्क्रीम के विरोर पहचान की गई वन भूमि विधि प्रिष्टित । ii — अवस्थिति, सर्वेक्षण या अवनत वन वर्धित करने वाल 150,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामिय्य वन सीमाये संलग्न हैं। ii — विपत्र विपत्र कारोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन वर्धित करने वाल 150,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामिय्य वन सीमाये संलग्न हैं। iv — शंपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, सम्मय सूखी, वाता संख्वा आदे सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीम के लिये कुल वित्तीय वपरिवय । v — संविपुरक वनरोपण के लिये और प्रक्वम के दृष्टिकोणों से एक्वान हैं। v — संविपुरक वनरोपण के लिये और प्रक्वम के दृष्टिकोणों से एक्वान करों यो गैर वारो वाले उप वनसंस्थक के प्रयाप के अंत प्रक्वाति कियाकलायों के समाधान से सम्विवित सहत्वपृण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वनसंस्थक की स्थल निरीक्षण शिपोर संलग्न हैं (हॉ/ नहीं)। 17—वनस्यति और जीव जीव पर्य प्रस्तावित कियाकलायों के समाधान से सम्बिवित सहत्वपृण वेश्व प्रकाशित कियाकलायों के समाधान से सम्बवित सहत्वपृण वेश्य प्रकाश में लाने वाले उप वनसंस्थक की विशेषिक साक्षा कारणों के साथ प्रस्तावित कियाकलायों के साथ प्रस्ताव की लिय ज्वान संवत्वक की विशेषिक सामिया के लाने वेश में प्रसावित कियाकलायों के साथ प्रसावित कियाकलायों के साथ प्रसावित कियाकलाय		
14— पूर्वक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका— टिप्पणियों दें । i — क्या भार—1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिक्षार्थ है और परियोजना के लिये अति चृत्वनत है। i — यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है। 15— क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ या नहीं) i — व्या विहें , की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्विलत वन भूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तिर व्यक्तियों के का नाम, पत्ने और पदनाम सहित अतिक्रमण के व्यौरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तिर व्यक्तियों के का नाम, पत्ने और पदनाम सहित अतिक्रमण के व्यौरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तिर व्यक्तियों के का नाम, पत्ने और पदनाम सहित अतिक्रमण के व्यौरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तिर व्यक्तियों के का नाम, पत्ने और पदनाम सहित अतिक्रमण के व्यौरे और अतिक्रमण के विशेष प्रवच्चान के विशेष प्रवच्चान की गई वन भूमि की विविध प्राश्चिति । ii — क्यारिपूरक वनरोपण खड़ाने के लिये पहचान कीय गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन विहेस व्यौरे दें । ii — अतिक्थित, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे और क्षित्वन्त वन जैसे व्यौरे ये । ii — अतिक्थिति, सर्वेक्षण यो कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे और क्षित्वन्त वन जैसे व्यौरे दें । ii — अतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन विशेष करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है । iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय स्थार संलग्न ह (हां / नहीं)। vi — क्षतिपूरक वनरोपण केनि लेथे कुल वितीय उपरिव्या । vi — क्षतिपूरक वनरोपण केनि के लेथे कुल वितीय उपरिव्या । vi — क्षतिपूरक वनरोपण केनि लेथे और प्रवच्चन के वृध्विक्णों से पहचान किये गये केते की योवित्य व्यक्ति के विध्व प्रवच्चन अभिकरण, समय स्थार संलग्न है (हां / नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलारों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकार में हमा वाल वेप पर सम्बन्ध के स्थार महत्वपूण निव्य महत्वपूण केव स्थार स्थार के विध्व	(यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन.ओ.सी.)के साथ उसका ब्यौरा दें)	
के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका— टिप्पणियों दें । i — क्या भार—1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिये अति न्यूनतम है । ii — यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है । 15─ किये गये अतिकमण के व्योरे : i — क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हों या नहीं) ii — यदि हों , की गई कार्य अविश्व अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि अतिकमण के वोरे उत्तरदायी व्यवित /व्यक्तियों के का नाम, पते और पत्तक्षमण के लिये उत्तरदायी व्यवित /व्यक्तियों के का नाम, पते और पत्तक्षमण के लिये उत्तरदायी व्यवित /व्यक्तियों के का नाम, पते और पत्तक्षमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हॉ / नहीं) 16─ व्यविपूरक वनरोपण स्क्रीम के व्योरे : ii — अविश्वित, सर्वक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे. और अतिकृष्ण वा अवन्त वन चिर्ण पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवन्त वन चिर्ण सहान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवन्त वन चिर्ण सहान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवन्त वन व विर्ण त करने वाला 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमार्य संलग्न है । ii — अतिपूरक वनरोपण कीन के लिये जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत सर्वक्षण और सामीप्य वन सीमार्य संलग्न है । iv — सित्पूरक वनरोपण कीन के लिये जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — क्षतिपूरक वनरोपण कीन के लिये जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — क्षतिपूरक वनरोपण कीन के लिये जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — क्षतिपूरक वनरोपण कीन के लिये जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — क्षतिपूरक वनरोपण कीन के लिये जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — क्षतिपूरक वनरोपण कीन के लिये जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — क्षतिपूरक वनरोपण कीन के लिये जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — क्षतिपूरक वनरोपण कीन है (हॉ / नहीं) । v= वित्पूरक वनरोपण कीन के लियं जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — क्षतिपूरक वनरोपण कीन के लियं जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — क्षतिपूरक वनरोपण कीन के लियं जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — क्षतिपूरक वनरोपण कीन के लियं जुल वित्तीय उपरिव्य । iv — च्षतिपूरक वनरोपण कीन है (हॉ / नहीं) । 10 — व्यक्तिपूरक वनरोपण		
यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है ओर परियोजना के लिये अति न्यूनतम है। 1i — यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है। 15— किये गये अतिक्रमण के व्यौरे : 1 — क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ या नहीं) ii — यदि हाँ , की गईं कार्य अविध, अतिक्रमण में अंतर्वितित वन भूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के बिये और और अतिक्रमण के बीरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के का नाम, पते और पतनाम सहित अतिक्रमण के बीरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के का नाम, पते और पतनाम सहित अतिक्रमण के बीरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के विच्चे कार्यवाही iii — क्या अतिक्रमण में कार्य अव भी प्रगति में है (हॉ/नहीं) 16— क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिये पहचान की गईं वन भूमि की विधि प्रारिश्यति । iii — अविश्वित, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन वर्षित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है। iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्यन अभिकरण, समम यूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीम के बीरे यें। v— क्षतिपूरक वनरोपण के तिये और प्रवन्धन के दृष्टिकोणों से प्रवाद्धिक के प्रमाण पत्र संतरन है (हॉ/नहीं)। v— क्षतिपूरक वनरोपण के तिये और प्रवन्धन के दृष्टिकोणों से प्रवाद्धित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में जप वन संस्क्षक से प्रमाण पत्र संतरन है (हॉ/नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लिय वन संस्क्षक से प्रमाण पत्र संतरन है (हॉ/नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप		
यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है ओर परियोजना के लिये अति न्यूनतम है। 1i — यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है। 15— किये गये अतिक्रमण के व्यौरे : 1 — क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ या नहीं) ii — यदि हाँ , की गईं कार्य अविध, अतिक्रमण में अंतर्वितित वन भूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के बिये और और अतिक्रमण के बीरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के का नाम, पते और पतनाम सहित अतिक्रमण के बीरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के का नाम, पते और पतनाम सहित अतिक्रमण के बीरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के विच्चे कार्यवाही iii — क्या अतिक्रमण में कार्य अव भी प्रगति में है (हॉ/नहीं) 16— क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिये पहचान की गईं वन भूमि की विधि प्रारिश्यति । iii — अविश्वित, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन वर्षित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है। iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्यन अभिकरण, समम यूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीम के बीरे यें। v— क्षतिपूरक वनरोपण के तिये और प्रवन्धन के दृष्टिकोणों से प्रवाद्धिक के प्रमाण पत्र संतरन है (हॉ/नहीं)। v— क्षतिपूरक वनरोपण के तिये और प्रवन्धन के दृष्टिकोणों से प्रवाद्धित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में जप वन संस्क्षक से प्रमाण पत्र संतरन है (हॉ/नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लिय वन संस्क्षक से प्रमाण पत्र संतरन है (हॉ/नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप		
लिये अति न्यूनतम हैं। i i — यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है। i — क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हॉ या नहीं) i i — यदि हॉ , की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्विलित वन्तूमी अतिकमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति /व्यक्तियों के का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्रोरे और अतिकमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति /व्यक्तियों के का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्रोरे और अतिकमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति /व्यक्तियों के विकद्ध की गई कार्यवाही iii — वया अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में हैं (हॉ /नहीं) 16— व्यक्तिपूरक वनरोपण सकीम के व्यर्थे पहचान की गई वन भूमि की विधि प्रास्थित । ii — अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे. और क्षित्रपूरक वनरोपण कोत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन वर्शित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न हैं। iii — क्षतिपूरक वनरोपण के के लिये पहचान किये गये गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न हैं। v— रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्यम अभिकरण, समय सूची, लागत संस्वना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्यर्थे स्वत्र के तिये कुल वित्तीय उपरिव्य । v— क्षतिपूरक वनरोपण के लिये कुल वित्तीय उपरिव्य । v— क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपरिव्य । v— स्वतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र के ग्रुवेल्य वनरोपण के लिये और प्रवन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र के ग्रुवेल्य वनरोपण के लिये और प्रवन्धन के व्यर्वेल्य परिवेल्य । v— स्वतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रवन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र के ग्रुवेल्य वनरोपण के लिये कर प्रवन्धन के प्रविक्ष के प्रवान के स्वत्य के स्व		वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
1 चि चि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है। 15- किये गये अतिक्रमण के ब्यौरं : 1- वर्षा अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ या नहीं) 1 -यि हाँ , की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों के का नाम, पते और पदनाम सिहत अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों के का नाम, पते और पदनाम सिहत अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों के विश्व उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों के विश्व प्रकृति व्यक्तियों के विश्व का नाम, पते और पदनाम सिहत अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिये जिल्ला के गई कार्यवाही 16- क्षातिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : 1- क्षातिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये पहचान की गई वन भूमि के विश्व प्राचित्र व व्यक्तियों के विश्व पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन विश्त करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है। 10- रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयम अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सिहत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरें संलग्न ह (हां / नहीं) 17- वत्तस्यति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलाणों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वनसंरक्षक के स्थल निरोक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं) 17- वननस्यति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलाणों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वनसंरक्षक के स्थल निरोक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं) 18- स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप		2. 国际的 1. 1900 (190) (1900 (190) (1900)(1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (190) (1900)(1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (190) (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (190) (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900)(1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (190)(190)(1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900)(190
पूर्वेक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है। 15— किये गये अतिकमण के व्यौरे : i — क्या अधिनियम या अधिनयम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ या नहीं) i i — यदि हाँ , की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन्तूमी अतिकमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के का नाम, पते और पदानाम सिहत अतिकमण के वियो उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के की गई कार्यकारी विवेक्षण ये व्यक्ति / व्यक्तियों के की गई कार्यकारी विवेक्षण ये व्यक्ति / व्यक्तियों के की गई कार्यकारी विवेक्षण ये व्यक्ति विवेक्षण के लीये उत्तरदायी व्यक्ति / व्यक्तियों के विकद्ध की गई कार्यकारी विवेक्षण या अविक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ / नहीं) 16— क्षतिपूरक वनरोपण खड़ाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधि प्रास्थित । ii — अवस्थित, सर्वक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे. और क्षतिपुरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवन्तत वन वर्षि करे वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है। iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपुरक वनरोपण स्कीम के व्यौरे संलग्न ह (हां / नहीं)। v— क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां / नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समधाम से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप		
i — क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हॉ या नहीं) ii — यि हॉ , को गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वितित वन भूमि अतिकमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तित व्यक्तियों के का नाम, पते और पदनाम सिहत अतिकमण के ब्योरे और अतिकमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तित व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही iii — क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हॉ / नहीं) 16— क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधि प्रास्थित । ii — अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे. और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैंसे ब्योरें दें । iii — क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन दर्शित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीध्य वन सीमायें संलग्न है । iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्ययन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपुरक वनरोपण स्कीम के ब्योरें संलग्न ह (हां / नहीं) । v— क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र के प्रमाण पत्र संलग्न है (हां / नहीं) । 17— वत्तिपूरक वनरोपण के लिये के तथे कुल वित्तीय उपरिव्यय । vi — क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र के प्रमुख्य ता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है (हां / नहीं) । 17— वतस्थित और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं) । 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप	पूर्वेक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है।	
के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हॉ या नहीं) i i —यदि हॉं , की गई कार्य अविध, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि अतिकमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के विल्खं की गई कार्यवाही iii — कया अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हॉं/नहीं) 16— क्षतिपूरक वनरोपण कियों के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधि प्रास्थित । ii — अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे. और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन वर्षेत्र क्षेत्र पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन दर्शित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है । iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपरिव्यय । vi — क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये भैर उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलन्न है (हां/नहीं)। 7— क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युवितयुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलन्न है (हां/नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलन्न है (हां/नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप		· 1476 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 -
भूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/ व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही iii — क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में हैं (हॉ/ नहीं) 16— क्षतिपूरक वनरोपण के ब्यौरे : i — क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधि प्रास्थिति । ii — अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे. और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैंसे ब्यौरे दें । iii — क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन वर्षित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है। iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपिरव्यय । vi — क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपिरव्यय । vi — क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपिरव्यय । vi — क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां/ नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जांतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/ नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप		नहीं ।
16— क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : i — क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधि प्रास्थिति । ii — अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे. और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैंसे ब्यौरे दें । iii — क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वनीकरण या अवनत वन विश्त करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है। iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न ह (हां / नहीं)। v— क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युवितयुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां / नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के साधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की	भूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के	अतिक्रमण नहीं किया गया है।
16— क्षतिपूरक वनरोपण बढाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधि प्रास्थित । ii — अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे. और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैंसे ब्यौरे दें । iii — क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन दर्शित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है। iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरें संलग्न ह (हां/नहीं)। v— क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपरिव्यय । vi — क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युवितयुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां/नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप	iii – क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हॉ / नहीं)	नहीं ।
की विधि प्रास्थिति । ii — अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षे. और क्षितिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैंसे ब्यौरे दें । iii — क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वनिकरण या अवनत वन दर्शित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है। iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरें संलग्न ह (हां/नहीं)। v— क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपिरव्यय । संलग्न है। vi — क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां/नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की		· 高斯斯森 多音 电闭
स्रतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैंसे ब्यौरे दें । iii — क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न हैं। iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरें संलग्न हं (हां/नहीं)। v— क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपिरव्यय । संलग्न है। vi — क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां/नहीं)। 17—वनस्पित और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की	i – क्षतिपूरक वनरोपण बढाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधि प्रास्थिति ।	संलग्न है।
वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है। iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्यौरें संलग्न ह (हां/नहीं)। v— क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपिरव्यय । vi — क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां/नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की	क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र	संलग्न है।
वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न है। iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरें संलग्न ह (हां / नहीं)। v— क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपरिव्यय । vi — क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां / नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की	iii – क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर	संलग्न है।
iv — रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सिहत क्षितिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरें संलग्न ह (हां / नहीं)। v— क्षितिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपिरव्यय । vi — क्षितिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां / नहीं)। 17—वनस्पित और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की	वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाल 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न	H-ANDERSON AND SERVICE SERVICES
समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरें संलग्न ह (हां / नहीं)। V— क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपिरव्यय । vi — क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां / नहीं)। 17—वनस्पित और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की		
 V- क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपिरव्यय । Vi - क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां/नहीं)। 17-वनस्पित और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। 18- स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप संलग्न है। संलग्न है। हाँ हाँ स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की 	समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम	सलग्न ह।
vi — क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां/नहीं)। 17—वनस्पित और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के साधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की		संलग्न है।
पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां / नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की		
संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां / नहीं)। 17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की		
17—वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के हाँ समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की	संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है(हां / नहीं)।	
समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की	17-वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के	हॉ
संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। 18— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिय उप स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की	समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन	
[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	

स्थान – नई टिहरी दिनांक– |3|7|2015

(आर०पी०मिश्रा) प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

SITE INSPACTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

5-1: A Proposal has been received by this office from अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय—घुमेटीघार for diversion under (FCA-1980) of 4-357Ha. Of forest land non-forestry Purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत ठेला—थार्ती—चिरबटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य widening. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on date

- 5-2:On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/un-elassed/Protect forest meansuring 4-357 ha.
- 5-3: The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 part-1is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes
- 5-4: Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of: N0
- 5-5: Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important mounuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required: -
 - (a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. ($\sqrt{}$) (No Violated)
- (b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 porvisions. Adetail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. (x)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत टिहरी वन प्रभाग,नई टिहरी के क्षेत्रान्तर्गत थार्ती क0सं0—6ब व 7 अ में— 3.692 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं सिविल एवं सोयम भूमि 0.665 हे0 कुल 4.357 हे0 वन भूमि हंस्तान्तरण, की संस्तुति की जाती है।

Place:- New Tehri Date:- 13 7 2015 (R. P. Mishra)
Divisional Ferest Officer
Tehri Forest Division, New Tehri.

N.B. x State the prupose for which the forest land is proposed to be diverted xx out fo (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from Ministry of Vnvironment & Forests, Gorernment of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

- 10

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal: UK-0528/2015

1. Location of the project/Scheme: Uttarakhand

(i) State / Union Territory: Uttarakhand

(ii) District: Tehri Garhwal

(iii) Forest Division: Tehri, New Tehri

(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 4.357

(v) Category: Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion:

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Tehri,New Tehri	3.692	Reserved Forest
2	Tehri,New Tehri	0.665	Civil Soyam land

Division 1.: Tehri, New Tehri

3. District wise area to be diverted in the division:

S. No.	District	Area(ha.)
1	Tehri Garhwal	4.357

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion:

(ii) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	4.357	0.3	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31- 60)cm.	(61- 90)cm.	(91- 120)cm.	(121- 150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	Chir	100	120	136	166	64
2	Quercus leucotricophora	Banj	68	26	6	2	
3	Alnus Nepalensis	Utish	30	37	30	10	1
4	Misc. Species	Anyar	20	20	40	10	
5	Mycia nagi	Kafal		8			
6	Rhododendron arboreum	Buransh	20	40			

- $5. \ \ \textbf{Working plan prescription for the forest land proposed for diversion:} \ Protection \ working \ circle$
- 6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion: Less vulnerable
- 7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.): No Data
- $\delta.$ Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :
 - (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion: Leopard, Barking deer, Jackal, Monkey, Jungli Suar

Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger

(ii). reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc.: No

Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

- Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, (iv). elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion:
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area: No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any:

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area: No
- 10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion;
 - (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project: Yes
- 11. Details of violation(s), if any ,committed:
 - (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out: No
- 12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No): No Data
- 13. Details of compensatory afforestation scheme :
- (ii). Total Financial Outlay for C.A: 16.35
- (iii). Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from managementpoint of view?: Yes
- (iv). Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view:



(v). Copy of detailed CA scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure etc.:



Additional information Details:

S. No.	Documents	Remarks
1	707	1-Total diverted forest area since 1980-3560.0274 ha. 2-CA done in Tehri Forest Division-963.975 ha. 3-CA done in Lalitpur (UP)-3959.74 ha. 4-CA done in Jhansi (UP)-638.11 ha. TOTAL CA TILL DATE AGAINST DIVERTED LAND IS-5561.825 HA.

14. District Profile:

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)		B) Non- forest land (in ha.)
1	Tehri Garhwal	383700	143268	3560.0274	157	556.072	15/07/2015	556.072	301.069

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land:

Site Whether No.	. of
------------------	------

Division Name	Circle	inspected By	site inspected	times site visited	Site inspection report	Date of visit
Tehri,New Tehri	Bhagirathi	DFO	Yes	One		13/07/2015
	Bhagirathi	CF	No		No Data	

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II, III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason:

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Tehri,New Tehri	Bhagirathi	DFO	Recommended	To facilitate road communication local people		
	Bhagirathi	CF	Recommended		FOI	Yes

Print page

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation)

Act, 1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

<u>A.</u>	<u>General</u>	<u>l Details</u>

A-1 Project Details

(i). Proposal No.: FP/UK/ROAD/10965/2015

- (ii). Name of Project for which Forest Land is required: New Construction Of Thela Tharti Chirbitiya Motor Road
- (iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required: Length of the proposed alignment is 6.75 km which is technically and geologically fit .the proposed alignment contains 5 HP bends and effects the minimum reserve forest area and minimum oak trees .presently the distance between THATHI TO CHIRBATIA is approximately 30kms and after the construction of
- (iv). State: Uttarakhand
- (v). Category of the Project: Road
- (vi). Shape of forest land proposed to be diverted: Linear
- (vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs): 380
- (viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 4.357
- (ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 0.472
- (x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 99

A-2. Details of User Agency

- (i). Name: PUBLIC WORKS DEPARTMENT GHANSALI
- (ii). Address1: OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV. PWD GHANSALI UTTRAKHAND
- (iii). Address2: NIL
- (iv). State: Uttarakhand

(v). District: Tehri Garhwal

(vi). Pin: 249155

(vii). Landmark: NIL

(viii). Email address: eepwdghansali@rediffmail.com

(ix). Landline Telephone No.: 258327

(x). Fax No.: 1379

(xi). Mobile No.: 7533944842

(xii). Website (if any): NIL

(xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past

	List of proposal submitted in Past						
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In- Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

(xiv). Legal status of User Agency: State Government

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: RATNESH

(ii). Middle Name: KUMAR

(iii). Last Name: SAXENA

(iv). Gender: Male

(v). Designation: ASST.ENGINEER

(vi). Address 1: O/O EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV PWD GHANSALI, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Tehri Garhwal

(x). Tehsil: Ghansali

(xi). Pin: 249155

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: eepwdghansali@rediffmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 258327

(xv). Fax No.: 01379258327

(xvi). Mobile No.: 7533944842

(i). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: No Data

B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

- (i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?.: No
- B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved				
S.no Division Name		Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)	
1.	Tehri,New Tehri	4.357	0.472	

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup				
S.no District Name		Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)	
1.	Tehri Garhwal	4.357	0.472	

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup				
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)	

1 Thela Tharti Chirbitiya 4.357 0.472

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup				
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)	
1	Thela Tharti Chirbitiya	4.357	0.472	

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1.: Tehri, New Tehri

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.): 4.357

(ii).: Linear

(b). No. of Segments: One

Segment wise details				
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments		
1.	4.357	View File		

- (iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:
- (iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station:



<u>D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:</u>

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:



- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes ${\sf vec}$
- (a). Copy of map indicating location of alternative examined:



E. Employment likely to be generated

- (i). Whether the Project is likely to generate employment?: No
- F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildelife Clearance

- (i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No
- J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas
 - (i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No
- K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted
 - (i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes
 - (a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted:

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

- (i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Y_{es}
- (ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: No
- (iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1
- (iv). No. of patches: One

District 1.: Tehri Garhwal

(a). Village: Tharti civil

(b). Area(in ha.): 8.714

(c). Copy of KML file of the patch:

View File


(d). Khasra details:

1771,1801,1812,1812,1820,1906,1932,1531,1643,1896,1893,1898,2261,1894,2272,2315

- (e). Present owner: Others
- (f). Copy of ownership proof:



(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency:





- (v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS ot Total Station:
- (vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation:

Additional information Details

Documents				
S.No	Documents	Remarks		
1	FOR MAKE	A short narrative and importance of the project		
2	FOR	Administrative and Financial sanction		
3	Total Lake	Preliminary Joint Inspection report (by user agency, Forestdepartment, revenue department		
4	Total	Comparative chart showing statement of both alignment and alternate site explored for the proposed project and reason for their rejection duly countersigned by DfO		
5	To Lake	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum		
6	tate:	Land schedule (for RF signed by DFO and civil soyam, Van panchayat and privet nap land, Notified forest land		

	Report Part 1	
7	PO LABOR	Category wise (RF,civil soyam,Van panchayat and privet nap land, Notified forest land etc.) land length, width and area in Ha
8	POF Address	Bar chart
9	POF JAMES	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land (10 years) by DFO
10	Make	Certificate regarding suitability of identified land for Compensatory Afforestation by DFO
11	POF JAME	Undertaking by the user agency to bear the cost of compensatory afforestation duly counter signed by the DFO
12	PO Make	Road side/gap filling plantation estimate
13	TOP	Details of the tree with their scientific name in RF.Civil Soyam ,Van panchayat ,Privet Land should be mentioned (with valuation of the trees to be filled)(0-10 dia trees will be mentioned as saplings).(pdf file)
14	To Lake	Felling of Oak Trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided
15	Total Laboratory (Control of Control of Cont	If felling of tree is not involved, certificate by DFO in this regard
16	TO Make	Certificate of felling minimum trees during the project work
17	POP	Muck disposal scheme
18	TOT LAGE.	WatherProject area Is not Part Of National Park Or Sanctuary And Arial Distance Of The Project From National Park Or Sanctuary Singed By DFO
19	Total State	In The Project Area Is Within 10 K.M Radios Of N/P Or Centuary Comments/No Objection Certificate Of CCE Wild Life Has To Be Provided
20	PG Address	In The Project Falling Within The National Park Or Centaury ,Needs Recommendation Of State Wild Life Board Of wild Life(NBWL) And Permission Of Hon Ble Supreme Court
21	100 Marie	No Violation Has Taken Place,FC Act 1980 Reg
22	200	Noc From Local Gram Sabha's

1 1	Report Pa	art I
23	Labor	Component Wise Details Of Construction Work
24	For	Certificate Work Has Not Been Started Reg.(
25	POF	Geologist report
26	POF	Task Force Certificate
27	TO Lake	Certificate By user Agency For Complying The Condition Imposed In Standard Condition
28	Late	Certificate By User Agency For Complying The Condition Imposed In Geologist Report/Task Force Recommendation In Hill Areas(Excluding Drinking Water)
29	To take	No Historical / Monumental Or Religious Place Will Be Effected Certificate
30	Total Laboratory and Control Laboratory and C	Under The Provide Alternative Fuel wood, Kerosene Or LPg To Labors Involved In Project
31	For	Benefited Village/Families/Population
32	interest of the state of the st	NPV Calculation Certificate As Per Hon'bleSupreme Court/MOEF Orders By DFO
33	Total Laboratory of Control Laboratory of Co	Undertaking Of Payment Of NPV If Hon'ble Supreme Court Increase The Rates Of NPV
34	Total Links	Cost Of Forest Land And Lease Rent Certificate By DM
35	Febru	Certificate Br Lease Period By user A Agency
36	Total	Demarcation Of Land To Be Diverted, Undertaking Of User Agency To Bear The Cost Of Demarcation Work
37	POF	Fact Sheet
38	and a state	justification for the inquiry made by nodal officer.

Print page